संपादकीय जागरण

रविवार, 28 अक्टूबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 4 वि. 2075

किसी भी अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है

दिखावटी सक्रियता

यह पढ़ने-सुनने में भले अच्छा लगे कि बिगड़ती आबोहवा पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन इसके अनुकूल नतीजे मिलने की उम्मीद मुश्किल से ही की जा सकती है। एक सवाल तो यही है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तब क्यों यह निर्देशित किया गया जब दिल्ली और साथ ही देश के कुछ अन्य भागों में प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है? क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह नहीं पता कि उसे कब क्या करना चाहिए? पर्यावरण को दुरुस्त रखने के मामले में कितनी सुस्ती दिखाई जा रही है, इसका पता इससे चलता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण फैलाने संबंधी करीब ढाई हजार शिकायतों में से केवल ढाई सौ पर ही कोई कार्रवाई की जा सकी है। यह सुस्ती तब दिखाई गई जब लगातार ऐसे समाचार आ रहे हैं कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों की आबोहवा सेहत के लिए खतरनाक होती जा रही है। यह घोर निराशाजनक है कि जब दिल्ली के साथ देश के दूसरे शहर गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण के लिए बदनाम हो रहे हैं तब पर्यावरण मंत्रालय के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी नहीं साबित हो रहा है। यदि पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश की राजधानी में प्रदूषण रोकने में प्रभावी नहीं सिद्ध हो सकता तो फिर इसकी उम्मीद कैसे की जाए कि राज्यों की प्रदूषक निवारक एजेंसियां अपना काम सही से करने में समर्थ होंगी? इस मामले में यह ध्यान रहे कि तमाम तैयारी और चेतावनी के बाद भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में फसलों के अवशेष को जलाने से रोका नहीं जा सका।

यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित कर देश के सामने एक उदाहरण पेश करने में सफल रहता तो शायद राज्य सरकारें और प्रदूषण की रोकथाम करने वाली उनकी एजेंसियां भी आबोहवा ठीक रखने के प्रभावी उपाय करने के लिए प्रेरित होतीं। अफसोस की बात है कि ऐसा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद नहीं पेश किया जा सका। इससे खराब बात और कुछ नहीं कि जब दिल्ली को देश को राह दिखानी चाहिए थी तब वह नाकामी का प्रदर्शन करने में लगी हुई है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि कागजी कार्रवाई अधिक होती है। प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के मामले में सरकारी तंत्र हर स्तर पर तब नाकाम है जब भारत के बारे में ऐसे अध्ययन लगातार आ रहे हैं कि यहां प्रदूषणजनित बीमारियों के कारण मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक दीवाली पर प्रदूषण बढ़ने की आशंका को दूर करने के लिए बुलाई गई है। आखिर जब दीवाली सिर पर आ गई है और ठंड भी बढ़ने लगी है तब पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने का क्या मतलब? बेहतर हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि प्रदूषण के खिलाफ दिखावटी सक्रियता से कुछ नहीं हासिल होने वाला।

किसानों पर भरोसा

यह उम्मीद जगाने वाली सुखद अनुभूति है कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में न सिर्फ कदम उठा रही हैं बल्कि उन पर भरोसा भी कर रही हैं। किसानों की उपलब्धि किसी से छिपी नहीं है। पांच दशक पहले देश में खाद्यान्न उत्पादन की यह स्थिति थी कि सबका पेट भरना कठिन था। अब हमारे पास असाधारण अन्न भंडार हैं। इसके साथ फल-फूल और सब्जी उत्पादन के कीर्तिमानों से भी देश का सीना चौड़ा है। उस उपलब्धि में सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की भूमिका स्वाभाविक रूप से निर्णायक जैसी है, यद्यपि इस उपलब्धि की चमक और झलक प्रदेश के किसानों के चेहरों और जीवनशैली में नहीं दिखती।

सबसे जरूरी है कि कृषि लाभकारी और सम्मानजनक पेशा बने, ताकि दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहे किसानों के बेटे अपने खेतों में लौटें

इसकी वजह यह है कि किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ का अधिकांश लाभ कृषि व्यापारी और बिचौलिए उठाते रहे, जबकि यह सब कुछ जानते हुए भी सरकारें मौन रहीं। इस शोषण ने किसानों को न सिर्फ अंतहीन कर्ज के बोझ से लाद दिया बल्कि यातनादायी परिस्थितियों ने अगली पीढ़ियों में कृषि कार्य के प्रति विरक्ति भी भर दी। किसानों के बेटों ने दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरी को बेहतर मानकर गांव छोड़ दिए, पर तत्कालीन सरकारों ने यह पलायन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। संतोष की बात है कि मौजूदा सरकार ने किसानों के प्रति हमदर्दी और संवेदनशीलता दिखाई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का न सिर्फ लक्ष्य निर्धारित किया है बल्कि इसे हासिल करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मुकेश अंबानी के कथन से सहमत हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है?

आज का सवाल
क्या टी-20 टीम से महेंद्र सिंह धौनी की छुट्टी करना सही फैसला है?

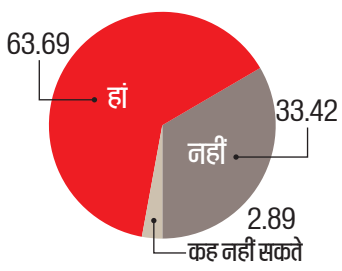

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सीबीआइ की साख बचाने की चुनौती

संजय गुप्त

हालांकि सरकार ने सीबीआइ विवाद में फैसला करते समय हड़बड़ी दिखाई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्ष इस बहाने आम जनता को बरगलाने का काम करे

केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच जैसा अप्रत्याशित और अवांछित आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इसी क्रम में एक ने दूसरे पर एफआइआर तक दर्ज कराई उससे देश की मुख्य जांच एजेंसी के रूप में सीबीआइ की साख को जबरदस्त धक्का पहुंचा है। इन दोनों शीर्ष अफसरों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिस तरह मोर्चा खोला वैसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। इस शर्मनाक झगड़े ने न केवल यह बताया कि सीबीआइ में सब कुछ सही नहीं, बल्कि यह भी जाहिर किया कि जो गलत हो रहा था उसमें अन्य एजेंसियों के लोग भी शामिल थे। निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच खटपट तभी से चली आ रही है जबसे अस्थाना सीबीआइ में विशेष निदेशक बने। आलोक वर्मा अस्थाना के चरित्र को संदिग्ध बताते थे। उनका यह भी आरोप था कि अस्थाना ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के मामले की जांच करते हुए रिश्वत ली। इसके जवाब में अस्थाना का आरोप यह था कि खुद वर्मा ने रिश्वत ली है और उन्होंने कई अन्य मामलों की जांच को प्रभावित किया है। वर्मा ने जब अस्थाना के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी तो आम जनता के साथ ही केंद्र सरकार भी सकते में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों अफसरों को झगड़ा सुझाने की सलाह दी, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ती दिखी, क्योंकि अस्थाना अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर रद कराने दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए। आखिरकार सरकार ने दोनों अफसरों को काम से मुक्त करने का फैसला किया। विपक्ष को सरकार की यह कार्रवाई रास नहीं आई। वह सरकार को घेरने में जुट गया।

सरकार ने सीबीआइ विवाद में अपनी कार्रवाई पर विपक्ष को हमलावर होने का मौका एक तरह से खुद दिया। पहले तो वह अफसरों के झगड़े से दूर बनी रही और फिर जब वह बेलगाम हो गया तो आधी रात को कार्मिक विभाग के अफसरों को बुलाकर सीबीआइ के दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए। आखिर यह काम रात में करने की क्या जरूरत थी? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? क्या वह कुछ छिपाना चाह रही थी, जो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकी? ऐसे सवालों की वजह से सरकार की नीयत को लेकर संदेह उभरे और उनके आधार पर ही विपक्ष को उसके खिलाफ हमलावर होने का मौका भी मिला। देखा जाए तो सरकार ने एक तरह से बैठे-ठाले राजनीतिक मुसीबत मोल ले ली। यह मुसीबत इस दलील के बावजूद बढ़ी कि दोनों अधिकारियों को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की पहल पर कार्यमुक्त किया गया है। इस पूरे मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राकेश अस्थाना सरकार की पहल पर और निदेशक आलोक वर्मा की आपत्ति के बावजूद सीबीआइ में विशेष निदेशक बने थे। हालांकि खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले

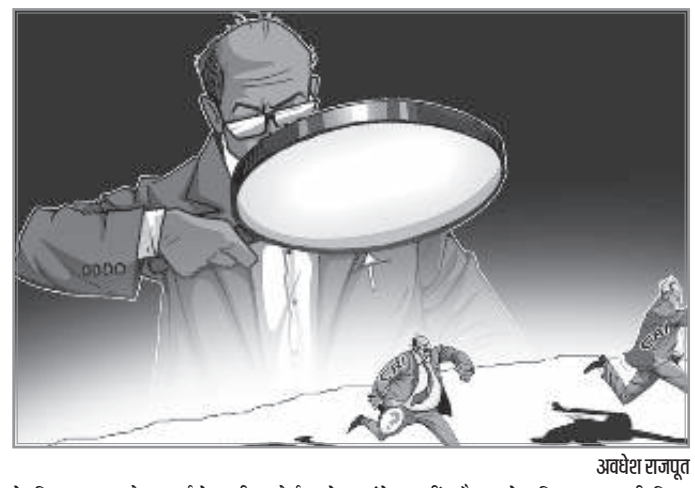

अवधेश राजपूत

के खिलाफ आलोक वर्मा के सुप्रीम कोर्ट जाने से सरकार की मुसीबत बढ़ती दिखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।

जिस समय राहुल गांधी सरकार के खिलाफ सीबीआइ मुख्यालय के बाहर धरना देते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने पर आपत्ति जता रहे थे लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आदेश दिया कि वह वर्मा पर लगे आरोपों की जांच दो हफ्ते में पूरी करे। खास बात यह रही कि उसने इस जांच की निगरानी एक सेवानिवृत जज को सौंपी। इसी के साथ उसने सरकार की ओर से नियुक्त सीबीआइ के अंतरिम निदेशक को बड़े नीतिगत फैसले लेने से भी बचने को कहा। यह स्वाभाविक ही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआइ अफसरों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक और सरकार की मंशा के अनुकूल बताया। सीबीआइ मुख्यालय पर धरना देते हुए राहुल गांधी ने राफेल राग अलापते हुए यह भी कहा कि आलोक वर्मा को इसलिए कार्यमुक्त किया गया, क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। एक तो इसके कहीं कोई संकेत नहीं और दूसरे यदि यह मान भी लिया जाए कि वर्मा की ऐसी कोई तैयारी थी तो सवाल यह उठेगा कि आखिर यह बात राहुल गांधी को कैसे पता चली? क्या आलोक वर्मा उन्हें यह बताते रहते थे कि वह किस मामले में क्या करने की सोच रहे हैं? राहुल गांधी झूठ के सहारे एक अहम रक्षा सौदे का जिस तरह राजनीतिकरण कर रहे हैं वह राष्ट्रीय हित की अनदेखी के अलावा और कुछ नहीं। यह समझ आता है कि सरकार के किसी फैसले को विपक्ष अपनी नजर से देखे और उससे असहमति जताए, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर बेतुके बयान देने को राजनीति नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि सरकार ने सीबीआइ विवाद में फैसला करते समय हड़बड़ी दिखाई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्ष इस बहाने आम जनता को बरगलाने का काम करे। समझना कठिन है कि सीबीआइ अफसरों में विवाद को राफेल सौदे से जोड़ने की क्या जरूरत थी?

सीबीआइ के दोनों शीर्ष अफसरों को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने इस शीर्ष जांच एजेंसी के राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। हैरानी है कि ऐसा आरोप वह राहुल लगा रहे हैं जिनकी सरकार यानी संप्रग शासन के समय सीबीआइ को पिंजरे में कैद तोता कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया, क्योंकि तत्कालीन सीबीआइ निदेशक कोयला घोटाले की गोपनीय रपट में सरकार द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के दौरान मूक दर्शक बने हुए थे। यह वह रपट थी जिसे सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाना था। राहुल गांधी को इससे भी परिचित होना चाहिए कि संप्रग शासन में मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के मामले में सीबीआइ का किस तरह जमकर राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। सीबीआइ का राजनीतिक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। देश की इस शीर्ष जांच एजेंसी की स्वायत्तता के तमाम दावों के बावजूद सच यह है कि वह राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं।

राहुल और अन्य विपक्षी नेता सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताने को स्वतंत्र हैं, लेकिन जब सीबीआइ सरीखी संस्था के दो शीर्ष अफसर आपस में लड़ रहे हों तब कोई भी सरकार चुप नहीं बैठ सकती। सरकार ने तभी हस्तक्षेप किया जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा था। यह बात और है कि आधी रात को कार्रवाई करने के कारण वह खुद कई सवालों से घिर गई। सीबीआइ एक स्वायत्त एजेंसी अवश्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह सरकार से परे है। निदेशक और विशेष निदेशक के खुले झगड़े के कारण सीबीआइ में जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं उन्हें देखते हुए सरकार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था, लेकिन अब उससे यह भी अपेक्षित है कि वह सीबीआइ की साख बहाली के लिए हर संभव उपाय करे। उसे ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी जिससे यह संस्था फिर कभी अफसरों की आपसी कलह का शिकार न बनने पाए।

response@jagran.com

धर्मनिरपेक्ष खर्राटों का असर

हास्य-व्यंग्य

उपेंद्र सिंह

खर्राटों को अपना मकसद पूरा करने में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं परंतु विजयश्री उनका ही वरण करती है

यह अर्द्धरात्रि में उस वक्त का वाकया है जब गहरी निद्रा की अवस्था से यकायक उठकर मैं बिस्तर पर ही बैठ गया। असल में यह खर्राटों की थरथराती आवाज थी जो रात में किसी किसी जंगल के शेर के मानिंद थरथराने के लिए काफी थी। घुप्प अंधेरे में आंखें फाड़-फाड़कर देखने के बावजूद कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। कांपते हाथों से जब बिस्तर के सिरहाने लगे स्विच को दबाया तो भक्क से चीख की आवाज के साथ बल्ब अपने प्राण त्याग चुका था। अब तो मेरी घिघ्घी ही बंध गई। ऐसा अनिष्ट? अपने खर्राटों को लानत देते हुए सोचा, इससे भला तो सोया ही रहता, कम से कम अपने ही घर में इस भुतहे बियावान का सामना तो नहीं करना पड़ता।

अब बारी थी मेरे नेत्रों के सिनेपटल पर चल रहे स्वप्न को याद करने की। अवश्य कोई भयानक सपना देखा होगा, परंतु तभी स्वप्न पर शोध कर चुके एक पश्चिमी विद्वान का 'इति सिद्धम' निष्कर्ष याद आया कि खर्राटे सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद में ही आते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि खर्राटे मनुष्य बहुत गहरी नींद में ही लेता है और गहरी नींद में उनींदे होने की संभावना कम होती है यानी उनींदी आंखों से हल्के-फुल्के सपने नहीं देखे जा सकते। प्रगाढ़ निद्रा में एक सब्सटेंस यानी कुछ ठोस होता है जिसके मायने हैं कि सुंदर, सलोना मदहोश कर देने वाला स्वर्गिक अनुभव।

कुछ लोग मुझे यह कहकर डरा चुके हैं कि कई बार दंपतियों के बिछोह में इस अदना से लगने वाले रोग का सक्रिय हाथ देखा गया है। सच मानिए कि इन दिनों मैं अपनी पत्नी के प्रति कुछ ज्यादा ही विनम्र हो गया हूं, क्योंकि मेरे खर्राटों से परेशान उसने कई बार अर्द्धरात्रि में मुझे झंझोड़ते हुए उठाया है। और संभवतः मेरी इस बेचारगी के पीछे मेरे वैचारिक अवचेतन में तलाक तक पहुंचे ऐसे खुर्राट खर्राटों का ही प्रताप है।

खर्राटे कौन नहीं लेता? मैंने अपने मन को समझाया ताकि मैं अपनी हीन भावना पर कुछ काबू पा सकूं। मैंने मवेशियों, जानवरों से लेकर मानव शिशुओं तक को इस बाहुबली के सामने बेबस देखा है। हां यह और बात है कि एक आदमी खर्राटे लेते हुए जितना वीभत्स दिखाई देता है, एक शिशु इस अवस्था में अप्रतिम रूप से उतना ही प्यारा लगता है।

बताने वाले बताते हैं कि रामायण के अमर पात्र कुंभकरण की नींद और उसके खर्राटों से लंका के अनेक स्वनामधन्य निशाचरों की नींद उड़ी रहती थी। रावण के कई सलाहकारों का मत था कि यदि कुंभकरण को युद्ध के लिए जगाया न जाता तो वानर सेना उसके खर्राटों से भयाक्रांत होकर लंका में घुसने का साहस ही न जुटा पाती।

कुछ बरस पहले हमने भी एक श्वान को इस गरज से पाला था कि रात में चोरों से निश्चिंत होकर हम अपनी नींदें पूरी कर सकेंगे। मगर हमारे लाड़-प्यार ने उस चौपाये को इतना मदमस्त बना दिया कि साहब दिया बाती होते ही नींद के आगोश में चले जाते और उनके लापरवाह खर्राटों से उल्टे हम सब जनों की नींदें उड़ी रहती थीं। मैंने अपने गहन शोध से पाया कि खर्राटे प्राणिमात्र के बीच बराबरी का संदेश देने के साथ ही धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं और उनकी कोई कोई जात-पांत नहीं होती। वे तो बहुजन हिताय को समर्पित हैं। हां, उनके कारण कई बार नींद के 'लॉ एंड आर्डर' को बिगड़ते हुए अवश्य देखा गया है।

विश्व इतिहास में अनगिनत घटनाएं दर्ज हैं जहां खर्राटों ने मारपीट, हिंसा तक को अंजाम दिया है। खर्राटे आरामतलब भी नहीं होते। मीठी नींद को तरस रहे एक थके हारे हुए प्राणी को जहां सुभीता मिला, वह बेचारा वहीं लेट गया। ऐसे में खर्राटे सोने वाले की पात्रता के अनुसार अनुकूल वातावरण पाते ही उसकी छाती पर चढ़ उसके नथुनों को ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो खर्राटों को अपना मकसद पूरा करने में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। परंतु आखिरकार इस कड़ी मशक्कत के बाद विजयश्री उनका ही वरण करती है।

बहरहाल, अब मैं अपनी उस रात का अधूरा किस्सा पूरा करूं। स्विच दबाते ही बल्ब तो शहीदों में अपना नाम दर्ज करा चुका था। सो थरथराते हुए पांव धरती पर टिकाते ही कुछ राहत मिली। उधड़े फर्श ने बता दिया था कि मैं अपने ही घर में हूं। नींद कुछ ज्यादा ही गहरी लग गई थी। पांवों पर जोर डाला ही था कि गुर्र-घुर्र की आवाज ने मेरे कानों को भेदा। दिल की धड़कन भी गीयर बदलकर तेज दौड़ने लगी। ऐसा लगा कि कोई मेरे पास ही फुंफकार रहा है। घबराहट में सांसे भी ऐसे भारी होने लगीं कि मानो उन्हें किसी फ्लाइओवर पर चढ़ना पड़ रहा हो। पलंग से तुरंत उतरने का साहस नहीं हुआ तो आधे घंटे बिस्तर पर ही पैर लटकाए बैठा रहा। कुछ पौ फटी और उजाला कमरे में नमूदार हुआ तो देखा हमारा अपना टॉमी मुस्कराते हुए खर्राटे ले रहा था। उसके फड़फड़ाते हुए नथुनों की गूंज ने मुझे यह सोचने पर विवश कर दिया कि सचमुच मेरी नींद मेरे अपने खर्राटों से टूटी थी या टॉमी के। अब यह एक नई जांच का विषय है।

response@jagran.com

ऊर्जा

आध्यात्मिकता

आध्यात्मिकता एक ऐसा शब्द है जो लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश लोग आध्यात्मिकता का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं और इसी कारण से वे इसे अपनाने में हिचकिचाते हैं। ऐसे लोग यही समझते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ अभाव में रहकर जीवन व्यतीत करना व स्वयं को कष्ट देना है। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है। आध्यात्मिकता के लिए मनुष्य केवल अपनी मानसिक कमजोरियों को त्यागकर स्वयं को आंतरिक स्थिरता देनी होती है।

इसमें स्वयं को परमसत्ता के समक्ष समर्पित कर देना होना है। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन सदैव आंतरिक चेतना से संचालित होता है। यही भावना आनंद का निमित्त भी बनती है। आध्यात्मिकता में जो सत्य है, उसे ही स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अनुभव से यह जान लेता है कि उसके आनंद का स्रोत क्या है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने आप को जान लेना ही है। विद्वानों ने समय-समय पर आध्यात्मिकता और धर्म को अलग-अलग करने का प्रयास किया गया है। इसके फलस्वरूप ही आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभव और मानसिक विकास पर केंद्रित हुई है। वैसे, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे से संबंधित जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अंतर है। आध्यात्मिकता, सांसारिक भौतिकवाद से ऊपर है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह हमारे आंतरिक जीवन के विश्वास और चमत्कारों से जुड़ी कड़ी है। यह मानव मूल्य की आधारशिला है जिस पर हम आस्था और भरोसा करते हैं। आध्यात्मिकता यही ज्ञान और समझ विकसित करती है कि हमारे जीवन का सही अर्थों में क्या उद्देश्य है?

हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण सच्ची आध्यात्मिकता में ही है। इसलिए हमें उसकी तलाश कर उसे अपनाना चाहिए। आध्यात्मिकता का मार्ग ऐसा है, जिस पर चलकर हमारा दुख छोटा हो जाता है और हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आध्यात्मिकता में समाज और संसार के बीच रहते हुए मन की प्रसन्नता बनी रहती है। आध्यात्मिकता से हमारा व्यक्तित्व न केवल निखरता है, बल्कि उसमें मजबूती भी आती है।

शंभूनाथ पांडेय

तथ्य-कथ्य | विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 (अंक 1-100)

(कोष्ठक में देशों की रैंकिंग)

स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

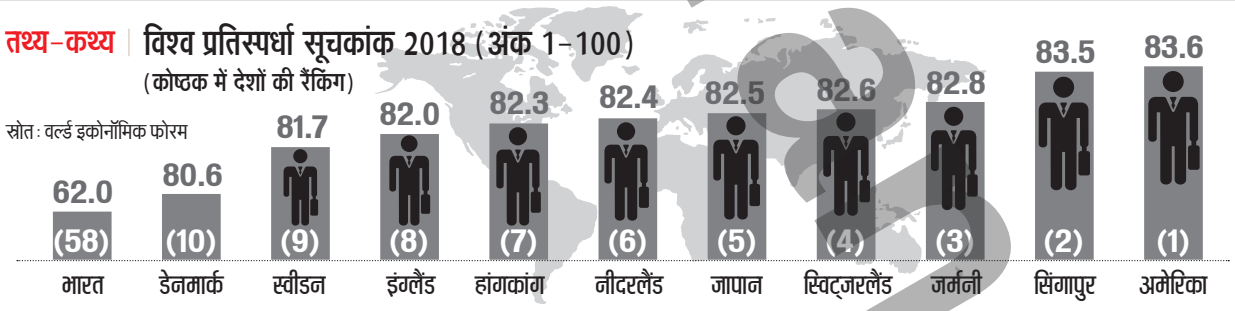

बिगड़ा मूड

अमूमन शांत दिखने वाले पर्यावरण मंत्री हर्षवर्द्धन का मूड इन दिनों दिल्ली समेत एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा को देख बिगड़ा हुआ है। वह उन अफसरों से ज्यादा नाखुश हैं जो उन्हें हर दिन हवा में सुधार का एक नया आंकड़ा दिखाकर खुश करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों आला अफसरों के साथ बैठक में जब एक अफसर ने ऐसे ही कुछ आंकड़ों के जरिये एक और नई बाजीगरी दिखाने की कोशिश की तो वह भड़क गए। उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा उनसे कहा कि इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बदलाव तो होते रहते हैं। हकीकत को समझो, जो सामने दिख रहा है। मंत्री जी के तेवर को देखकर फिर तो सन्नाटा छा गया।

सीबीआइ से तौबा

सीबीआइ के अंदर जो कुछ हुआ और हो रहा है उसने इसे हास्यास्पद बना दिया है। उससे भी बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो गया है कि अब लोग जांच की मांग करें भी तो किससे? हाल में आंध्र प्रदेश के एक एयरपोर्ट पर जगन मोहन रेड्डी पर चाकू से हमला हुआ। भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई और सत्ताधारी टीडीपी पर सवाल उठाया। यह भी आरोप लगाया कि वहां दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को खतरा है। एक सवाल पूछा गया कि क्या भाजपा चाकू हमले की सीबीआइ जांच चाहती है? इतना कहना था कि हंसी के फव्वारे छूट गए। खुद भाजपा के पदाधिकारी भी हंसी नहीं रोक पाए। पर मामला औपचारिक था लिहाजा सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए कि न्यायिक जांच भी हो सकती है।

राजरंग

वायरल हुए विरल

मिंट रोड और नॉर्थ ब्लॉक के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। आरबीआइ के बदलते तेवरों से सरकार के भीतर और खास तौर पर वित्त मंत्रालय में जबरदस्त बेचैनी है। अभी तक आरबीआइ व केंद्र सरकार के बीच तालमेल बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, लेकिन पिछले छह महीने के भीतर आरबीआइ का रुख बदला हुआ है। पहले केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए अलग नियामक बनाने की सरकार की मंशा का खुलेआम विरोध किया और अब डिप्टी गवर्नर डॉ. विरल आचार्य ने आरबीआइ की स्वायत्तता के मुद्दे पर केंद्र पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। आचार्य ने यहां तक कह दिया है कि जो सरकारें नियामक एजेंसियों की स्वायत्तता से समझौता करती हैं उन्हें वित्तीय व आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ता है। इस बीच आरबीआइ को समझाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन उसका फिलहाल असर होता नहीं दिख रहा है।

खड़े हुए कान

सीबीआइ में चल रही उठापटक से नौकरशाही के कान खड़े हो गए हैं। बताया जाता है कि लुटियंस जोन में बैठने वाले कई अफसरों ने यह मामला सामने आने के बाद मौनव्रत धारण कर लिया है। कुछ तो सीबीआइ के रौब-रुतबे से पहले से ही परेशान थे, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले के तूल पकड़ने के बाद चुप्पी साध ली है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अफसर भी इस मामले के बाद मीडिया से कन्नी काटने लगे हैं। वे सीबीआइ के मामले पर तो मौन हैं ही, अपने विभाग के सकारात्मक कार्यों के बारे में भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मामले के बाद राहत की सांस ली है। उनको जश-जरा सी बात पर सीबीआइ के रौब-रुतबे से दो-चार होना पड़ता था। उन्हें उम्मीद है कि पिंजड़े में बंद तोता शायद अब शांत रहेगा।

ट्वीट-ट्वीट

तारिक अनवर जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी किन्हीं कारणों से कांग्रेस छोड़कर चले गए थे उन्हें कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहिए।
अशोक गहलोत@ashokgehlot51

कुछ लोगों ने पूरा देश सिर पर उठा लिया, लेकिन कानून के शिकंजे से उन्हें नहीं बचा पाए। अर्बन नक्सल मामले में पांच में से तीन आरोपी पुलिस कस्टडी में पहुंच गए हैं। अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। मानक गुप्ता@manakgupta

हमारी पहल से जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन बना है जहां स्टेशन अधीक्षक से लेकर हेड टिकट कलेक्टर तक तथा आरपीएफ कांस्टेबल से लेकर आरक्षण क्लर्क व स्टेशन मास्टर तक सभी पदों को बेटियां ही सुशोभित कर रही हैं।
वसुंधरा राजे@VasundharaBJP

दिल्ली के मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चे मो. अजीम की दर्दनाक मौत दिल दहलाने वाली है, पर घटना के वक्त की वीडियो फुटेज से साफ है कि यह हत्या गैरइरादतन और बच्चों के आपसी झगड़े का नतीजा थी। इसे हेट क्राइम/ मॉब लिंचिंग कहना या फिर पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देना बहुत गलत होगा। समीर अब्बास@TheSamirAbbas

जनपथ

टेढ़ी की टेढ़ी रहे कबहुं न बदले चाल,
शीशनली में राखिए उसको भले संभाल।
उसको भले संभाल श्वान की दुम ही ऐसी,
कबहुं न सीधी होय रहे वैसी की वैसी।
हामिद ने इक बार रागिनी फिर से छेड़ी,
पाकर भी सर्वस्व निगाहें रहतीं टेढ़ी।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 103